

[2024] 2 एस.सी.आर. 155 : 2024 आईएनएससी 100

विनोद कांजीभाई भगोरा

बनाम

गुजरात राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1571/2024)

02 फरवरी 2024

[विक्रम नाथ एवं सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दा

क्या अपीलार्थी के राज्य सरकार में उत्तरवर्ती रोजगार का अर्थ यह लगाया जा सकता है कि अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा 'अवशोषित' कर लिया गया है, जैसे कि केंद्र सरकार के साथ अपीलार्थी की पूर्व सेवा को गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2022 के नियम 25 (ix) के संदर्भ में 'अहर्क सेवा' का हिस्सा माना जाएगा।

शीर्ष टिप्पणियाँ

गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2022 – आर.25(ix) – व्याख्या – अहर्क सेवा – राज्य सरकार के पेंशन नियमों के तहत को केंद्र सरकार में की गई सेवा की अवधि को 'अहर्क सेवा' का हिस्सा मानकर शामिल करना:

अभिनिर्धारित: राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजनाएं प्रत्यायोजित लाभकारी विधि का हिस्सा बनाती हैं; और ऐसी व्याख्या के अधीन व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए जो पेंशन नियमों के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत न हो – राज्य सरकार एक आदर्श नियोक्ता है; तथा निष्पक्षता और स्पष्टता के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए – जिस व्याख्या को आगे बढ़ाने की मांग की गई है वह संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक है ताकि आर 25(ix) का लाभ केवल ऐसे व्यक्तियों तक ही सीमित किया जा सके, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अवशोषित किया गया हो, जबकि यहां अपीलार्थी जैसे व्यक्तियों को, जिन्हें निश्चित रूप से, राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित रूप से अवशोषित किया गया था, यानी, चयन प्रक्रिया में अपीलार्थियों की भागीदारी केंद्र सरकार से एनओसी द्वारा पहले की गई थी; और इसके बाद राज्य सरकार के साथ रोजगार हासिल करने पर केंद्र सरकार को तकनीकी इस्तीफे दिया गया – उच्च न्यायालय ने r.25 (ix) की अपनी व्याख्या में गलती की और पेंशन नियमों के तहत 'योग्य सेवा' के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार को प्रदान

की गई सेवा की अवधि को शामिल करने की मांग करने से अपीलकर्ता को गलत तरीके से वंचित कर दिया – गांधीनगर डाक प्रभाग में डाक सहायक के रूप में अपीलकर्ता द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की गई सेवा को अर्हक सेवा के रूप में माना जाए; और सेवांत लाभ/पेंशन लाभ की पुनः गणना करें – विवादित आदेश रद्द कर दिया गया। [पैरा 17-20, 22]

सेवा कानून – पेंशन – अनुदान का – मुख्य प्रयोजन – चर्चा की गयी.

[पैरा 10]

उद्धृत न्याय निर्णय

एलआईसी बनाम श्री लाल मीना, [\[2019\] 5 एससीआर 39](#): (2019) 4 एससीसी 479 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2022; भारत का संविधान

संकेतशब्दों की सूची

पेंशन; उत्तरवर्ती रोजगार; अवशोषित; पूर्व सेवा; अर्हक सेवा; तकनीकी इस्तीफा; सेवांत लाभ/पेंशन लाभ।

से उद्धृत मामला

सिविल अपील्य क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1571/2024

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा दिनांक 08.03.2018 को एससीए संख्या 22341/2017 में पारित निर्णय और आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से ऋषभ पारिख, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, ए.एस.जी., श्रीमती स्वाति घिल्डियाल, श्रीमती देवयानी भट्ट, गुरुमीत सिंह मक्कड़, श्रीमती रुचि कोहली, श्रीमती अर्चना पाठक दवे, श्रीमती सुहासिनी सेन, एस.एस. रेबेलो, श्याम गोपाल, राघव शर्मा, सुघोष सुब्रमण्यम, श्रीमती रेखा पांडे, अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गई। गुजरात उच्च न्यायालय ("उच्च न्यायालय") द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 22341/2017 में पारित निर्णय जिसके तहत उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था को हमारे समक्ष चुनौती दी गई है ("आक्षेपित आदेश")।

2. अपीलकर्ता को केंद्र सरकार ने 12.08.1983 को गांधीनगर डाक प्रभाग में एक डाक सहायक के रूप में नियुक्त किया था और उसके बाद 16.07.1993 तक उपरोक्त पद पर काम करता रहा।
3. कालांतर में, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्रालय, गुजरात सरकार में वरिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र ("राज्य सरकार") जारी किया गया। तदनुसार, अपीलार्थी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया ("एनओसी") दिनांक 18.06.1993 को अधीक्षक डाकघर, गांधीनगर मंडल से और उसके बाद उपरोक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया।
4. 16.07.1993 को, अपीलार्थी को राज्य सरकार में वरिष्ठ सहायक के रूप में चुना गया था, इस पर उसने गांधीनगर डाक प्रभाग में डाक सहायक के रूप के पद से तकनीकी इस्तीफा दे दिया।
5. 18.08.1993 को, अपीलार्थी राज्य सरकार में वरिष्ठ सहायक के रूप में शामिल हुआ; और उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति तक 23 (तेईस) वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की सेवा करते रहे ("विषयगत अवधि")। इसके बाद, राज्य सरकार ने अपीलार्थी को केवल विषयगत अवधि की सीमा तक टर्मिनल लाभ/पेंशन लाभ का भुगतान किया ("विवादित कार्रवाई")।
6. राज्य सरकार की विवादित कार्रवाई से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी ने मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्कल के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया जिसमें की पोस्टल डिवीजन, केंद्र सरकार, गांधीनगर में एक डाक सहायक के रूप में उनकी सेवा की अवधि को शामिल करने की मांग की गई, यानी '1983 और '1993 के बीच गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2022 के नियम 25 के अनुसार टर्मिनल लाभ / पेंशन लाभ के अनुदान पर विचार किया जाना चाहिए ("पेंशन नियम")। तथापि, दिनांक 30.06.2014 के एक आदेश के अनुसार, उपरोक्त अभ्यावेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी ने बिना शर्त इस्तीफा दे दिया था।
7. उपरोक्त परिस्थितियों में, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य हो गया। आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा की अन्य बातों के अलावा अपीलार्थियों का मामला पेंशन नियमों के नियम 25 के तहत परिकल्पित लाभ को आकर्षित नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावी पैरा को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"6. याचिकाकर्ता ने वर्ष 1983 से 1993 तक केंद्र सरकार में काम करने की अवधि के लिए राज्य सरकार से पेंशन लाभ का दावा किया है। उपरोक्त नियमों के नियम 25 पर भरोसा किया गया है। हालाँकि, उपरोक्त नियमों के नियम 25 पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि यह तथ्य हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा। उक्त नियमावली का नियम 25 अर्हकारी सेवा के संबंध में है। जिस कर्मचारी ने केंद्र सरकार में अपनी सेवा प्रदान की है, इसके बाद उसे राज्य सरकार में समाहित कर लिया जाता है। इसके बाद, यह पाया गया कि उन्होंने राज्य सरकार के साथ काम करते हुए अर्हक सेवा पूरी नहीं की है। ऐसे मामले में, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को गिना जाना आवश्यक है और वह भी

अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए।

7. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उपरोक्त नियमों का नियम 25 लागू नहीं होगा।
8. इन परिस्थितियों में, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, याची को राज्य सरकार में दी गई सेवा को ध्यान में रखते हुए, उस राज्य सरकार की पेंशन/पेंशनरी/टर्मिनल लाभ का भुगतान किया गया है, जहां उसने आखिरी बार काम किया था।”

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ऋषभ पारिख ने न्यायालय का ध्यान पेंशन नियमों के नियम 25(ix) की ओर आकर्षित किया है। उपरोक्त संदर्भ में, उन्होंने कहा कि अपीलार्थी ने '1983 और '1993 के दौरान गांधीनगर डाक प्रभाग में डाक सहायक के रूप में कार्य किया है, यानी, केंद्र सरकार की पेंशन योजना के तहत सेवा की है, और उसके बाद विषय अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा की है। तदनुसार, यह उनका मुख्य तर्क था कि अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और परिणामस्वरूप, पेंशन नियमों के नियम 25 (ix) के संदर्भ में, अपीलार्थी के टर्मिनल लाभ / पेंशन लाभ केवल विषय अवधि तक सीमित नहीं हो सकते हैं, बल्कि इसमें केंद्र सरकार को उनके द्वारा प्रदान की गई 10 (दस) वर्ष की सेवा भी शामिल होनी चाहिए।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 यानी गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित एओआर सुश्री स्वाति घिल्डियाल ने उपरोक्त तर्क का पुरजोर विरोध किया है। इस न्यायालय के समक्ष उनके तर्कों में मुख्यतः इस बात पर बल दिया गया कि अपीलार्थी नई भर्ती से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार में अपीलार्थी की नियुक्ति के कारण पेंशन नियमों के नियम 25 (ix) का लाभ, यानी राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्रालय में वरिष्ठ सहायक के पद के लिए आवेदन के निमंत्रण के अनुसार मांग करने का हकदार नहीं था।

10. बतौर अगुआ, पेंशन दिए जाने के कारण की मौजूदगी पर विचार करना प्रासंगिक होगा। इसी प्रकार, यह स्पष्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा उनके रोजगार के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई अथक सेवा (जैसा भी मामला हो) पेंशन अर्जित की जाती है; और अक्सर सरकारी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तदनुसार, हमारी सुविचारित राय में, किसी बात के 'होने का कारण' राज्य सरकार द्वारा पेंशन का प्रदान करना अनिवार्य रूप से राज्य सरकार द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों को बुढ़ापे से जुड़ी अनिश्चितताओं और उतार-चढ़ाव से निपटने में सक्षम बनाने के एक केंद्रित प्रयास से जुड़ा है।

11. इस संदर्भ में, अब हमें पेंशन नियमों के नियम 25(ix) की जांच करनी चाहिए। सुलभ संदर्भ हेतु इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“नियम 25. अर्हक सेवा: इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, एक सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा का अर्थ है और इसमें शामिल है –

(ix) सरकार में समाहित सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन योजना वाले केंद्र सरकार/केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के तहत प्रदान की गई सेवाएं”

12. इस न्यायालय के समक्ष विवाद का आधार यह है कि क्या अपीलार्थियों के राज्य सरकार के साथ बाद के रोजगार का अर्थ यह लगाया जा सकता है कि अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा 'अवशोषित' कर लिया गया था, जैसे कि केंद्र सरकार के साथ अपीलार्थियों की पूर्व सेवा को पेंशन नियमों के नियम 25 (ix) के संदर्भ में 'अर्हक सेवा' का हिस्सा माना जाएगा।

13. माना जाता है कि, अपीलार्थी ने '1983 - '1993 के बीच यानी लगभग एक दशक की अवधि के लिए गांधीनगर डाक प्रभाग में डाक सहायक के रूप में केंद्र सरकार की सेवा की। इसके बाद, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्रालय, गुजरात सरकार में वरिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन के निमंत्रण पर वर्तमान अपीलार्थी द्वारा केंद्र सरकार से एनओसी प्राप्त करने के बाद आवेदन किया और बाद में उपरोक्त पद पर नियुक्त हो गए। इसके बाद, अपीलकर्ता ने राज्य सरकार की सेवा करने हेतु स्वेच्छा से तकनीकी इस्तीफा दे दिया।

14. पेंशन नियमों के नियम 25(ix) के अवलोकन से हम देखते हैं कि, पेंशन नियमों के तहत टर्मिनल लाभों/पेंशनरी लाभों की गणना के उद्देश्य से अन्य बातों के अलावा अर्हक सेवा में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई पूर्व सेवाएं शामिल होंगी यदि केंद्र सरकार के प्रावधान अनुसार (i) केंद्र सरकार के तहत ऐसे व्यक्ति के रोजगार में एक अंतर्निहित पेंशन योजना शामिल है; और (ii) ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अवशोषित कर लिया गया।

15. वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत और निर्विवाद तथ्य है कि केंद्र सरकार के तहत अपीलार्थी के पूर्व रोजगार में एक अंतर्निहित पेंशन पर विचार किया गया था और इस प्रकार, हमारे सामने विवाद केवल इस बात तक सीमित है कि क्या अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा 'अवशोषित' किया गया था।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 का रुख इस तथ्य पर आधारित है कि अपीलार्थी नई भर्ती के तहत राज्य सरकार की सेवाओं में शामिल हुआ, यानी राज्य सरकार द्वारा जारी आवेदनों के निमंत्रण पर; और, केवल इसलिए कि अपीलकर्ता अपने पिछले अवतार में केंद्र सरकार का कर्मचारी था, उसे राज्य सरकार द्वारा अवशोषित नहीं माना जा सकता है।

17. यह सुस्थापित तथ्य है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजनाएँ प्रत्यायोजित लाभकारी कानून का एक हिस्सा हैं; और इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए बशर्ते ऐसी व्याख्या पेंशन नियमों¹ के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत न हो। इसके अलावा, यह रेखांकित करना प्रासंगिक होगा

1. वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एलआईसी बनाम श्री लाल मीना, [2019] 5 एससीआर 391 : (2019) 4 एससीसी 479 की गई

कि राज्य सरकार एक आदर्श नियोजक है; और उसे निष्पक्षता और स्पष्टता के सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए।

18. उपरोक्त संदर्भ में, हमने पेंशन नियमों पर ध्यान से विचार किया है, और हमने पाया है कि सुश्री धिल्लियाल द्वारा जिस व्याख्या को प्रस्तुत करने की मांग की गई है वह संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक हैं, ताकि पेंशन नियमों के नियम 25(ix) का लाभ केवल ऐसे व्यक्तियों तक सीमित किया जा सके, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अवशोषित किया गया हो, जबकि यहां अपीलार्थी जैसे व्यक्तियों को, जिन्हें निश्चित रूप से, राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित रूप से अवशोषित किया गया है, यानी, चयन प्रक्रिया में अपीलार्थियों की भागीदारी केंद्र सरकार से एनओसी द्वारा पहले की गई थी; और उसके बाद राज्य सरकार के साथ रोजगार हासिल करने पर केंद्र सरकार को एक तकनीकी इस्तीफे दिया गया था। प्रासंगिक रूप से, न तो प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से की गई उपरोक्त व्याख्या को पेंशन नियमों के किसी भी स्पष्ट प्रावधान द्वारा प्रतिध्वनित किया जा सकता है और न ही ऐसी व्याख्या को अपनाने के लिए कोई ठोस तर्क हमारे सामने रखा गया है।

19. इस प्रकार हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने पेंशन नियमों के नियम 25(ix) की व्याख्या में गलती की है; और इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को पेंशन नियमों के तहत 'अहर्क सेवा' के रूप में केंद्र सरकार को प्रदान की गई सेवा की अवधि को शामिल करने की मांग से अनुचित रूप से वंचित कर दिया गया।

20. तदनुसार, हम प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देश देते हैं कि गांधीनगर डाक प्रभाग में डाक सहायक के रूप में अपीलार्थी द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की गई सेवा को अहर्क सेवा माना जाए; और उसके बाद (i) अपीलकर्ता के पक्ष में अर्जित होने वाले टर्मिनल लाभों/पेंशन संबंधी लाभों की पुनर्गणना करें; और (ii) ऐसे टर्मिनल लाभों/पेंशनरी लाभों का बकाया (यदि कोई हो) अपीलकर्ता को आज यानी 02.02.2024 से 6 (छह) सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

21. उपरोक्त भुगतान करने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रत्यर्थी संख्या 2 से यथानुपात प्रतिपूर्ति / योगदान केंद्र सरकार के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा से संबंधित अवधि के लिए टर्मिनल लाभों / पेंशन लाभों के संबंध में किए गए भुगतान को प्राप्त करने के लिए मुक्त होगा।

22. आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है; और उपरोक्त शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है। खर्च बाबत कोई आदेश नहीं।

शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडे द्वारा तैयार की गई।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति

अस्वीकरण

“इस निर्णय का अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की सहायता से किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और किर्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”